न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 80/2024

1. कानीदेवी पत्नि भैराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नराणाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. नेमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. रामूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. करणीसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. प्रहलादसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजुसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. लालसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. हीरा पत्नि अमरसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. विमला पुत्री अमरसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. उप पंजीयक अधिकारी कातर छोटी जिला चूरू
9. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. तुलछा पुत्री भेराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गीतादेवी पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. जगदीश पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मनीष पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. सीताराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मन्नोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

—: निर्णय :—

दिनांकः— 29/01/2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात व गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 508 पांच सौ आठ तादादी 13.9742 तेरह दशमलव नो सात चार दो हेक्टेयर वाके रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी कानीदेवी 121/442 एक सो ईक्कीस बट्टा चार सो बियालीस हिस्सा व वादी नराणाराम, रामुराम, नेमाराम प्रत्येक 10/221 दस बट्टा दो सो ईक्कीस हिस्सा भूमि के खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। मौके पर वादीगण, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण, गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात अपने—अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात का खान—पान, रहन—सहन अलग—अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 25.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने—अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक—पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7 सात की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला—चूरू

धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 10 दस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादीगण के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उसे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर खसरा संख्या 508 तादादी 13.9742 हेक्टेयर भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि वादगत भूमि में पश्चिमी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
कानी बनाम उम्मेदसिंह आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 80/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर खसरा संख्या 508 तादादी 13.9742 हेक्टेयर भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि वादगत भूमि में पश्चिमी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग......................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक..को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.......29/01/2025

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ बीदासर जिला-चूरू

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्चे के खाने में कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)